

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 861 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 12, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़-धोबीघाट मोटर मार्ग (7.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

**Project No- FP/UK/ROAD/12028/2015**

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी का पत्रांक 773/12-1 दिनांक 06.09.2017.

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

प्रश्न	उत्तरालेख
1. बिन्दु सं. 1 के क्रम में सूचित करना है कि उपरोक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये डी.एस. एस. वेब पोर्टल में परिक्षणोपरान्त 4.42 है० एम.डी.एफ. के अन्तर्गत आ रहा है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन कर तदनुसार संशोधित मानचित्र एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	बिन्दु सं. 1 से 3 के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में आने वाले एम.डी. एफ. पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या पार्ट-। में
2. बिन्दु सं. 2 के क्रम में सूचित करना है कि संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रशिक्षण किया जायेगा।	Properly तरीके से तथा Additional Information
3. बिन्दु सं. 2 के क्रम में सूचित करना है कि संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रशिक्षण किया जायेगा।	Detials के क्रमांक 69 पर भी ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
4. बिन्दु सं. 5 के क्रम में सूचित करना है कि उक्त के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी जानी थी, परन्तु उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जारी की गई है, स्पष्ट करें। अतः उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑन लाईन उपलब्ध करते हुये, हार्ड कापी में भी उपलब्ध करायें।	बिन्दु सं० 4 का निराकरण गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा पार्ट-।। के Additional Information Detials के क्रमांक 62 पर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।



Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- 773 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, सितम्बर 06... 2017  
सेवा में

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Project No- FP/UK/ROAD/12028/2015

विषय – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़-धोबीघाट मोटर मार्ग (7.675 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सिंचाई खण्ड) बैजरो, मुख्यालय-सतपुली, (गढ़वाल) की पत्र संख्या 405/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.खं.) दिनांक 05/09/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा ऑन लाईन लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है:-

प्रश्न	उत्तरालेख
1. बिन्दु सं. 1 के क्रम में सूचित करना है कि उपरोक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये डी.एस. एस. वेब पोर्टल में परिक्षणोपरान्त 4.42 है० एम.डी.एफ. के अन्तर्गत आ रहा है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन कर तदनुसार संशोधित मानचित्र एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	बिन्दु सं. 1 से 3 के क्रम में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल में आने वाले एम.डी.एफ. पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या पार्ट-। में Properly तरीके से तथा Additional Information Detials के क्रमांक 69 पर भी ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
2. बिन्दु सं. 2 के क्रम में सूचित करना है कि संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रशिक्षण किया जायेगा।	
3. बिन्दु सं. 2 के क्रम में सूचित करना है कि संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रशिक्षण किया जायेगा।	
4. बिन्दु सं. 5 के क्रम में सूचित करना है कि उक्त के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी जानी थी, परन्तु उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जारी की गई है, स्पष्ट करें। अतः उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा ऑन लाईन उपलब्ध करते हुये, हार्ड कापी में भी उपलब्ध करायें।	बिन्दु सं० 4 का निराकरण इस वन प्रभाग द्वारा पार्ट-।। के Additional Information Detials के क्रमांक 62 पर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव को अपने स्तर से ऑन लाईन कर उच्च स्तर को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश चन्द भा०व०से०)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी  
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।